



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 41-2025] CHANDIGARH, TUESDAY, OCTOBER 14, 2025 (ASVINA 22, 1947 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 अक्टूबर, 2025

संख्या 2/26/2025-2श्रम.— हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 (1958 का पंजाब अधिनियम 15) की धारा 34 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान नियम, 1958, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम पंजाब दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (हरियाणा संशोधन) नियम, 2025 कहे जा सकते हैं।
2. पंजाब दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान नियम, 1958 में, नियम 15 में, उपनियम (2) में, खण्ड (iv) में, विद्यमान परन्तु क के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तु क प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु खण्ड (iv) में दी गई कोई भी बात, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्य कर रही महिलाओं को लागू नहीं होगी, जब अधिनियम की धारा 30 के उपबंधों से छूट प्रदान की जाती है”।

राजीव रंजन,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**LABOUR DEPARTMENT****Notification**

The 9th October, 2025

No. 2/26/2025-2Lab.— In exercise of powers conferred under sub-section (1) read with sub-section (2) of section 34 of the Haryana Shops and Commercial Establishments Act, 1958 (Punjab Act 15 of 1958), the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Punjab Shops and Commercial Establishments Rules, 1958 in their application to the State of Haryana, namely:-

1. These rules may be called the Punjab Shops and Commercial Establishments (Haryana Amendment) Rules, 2025.
2. In the Punjab Shops and Commercial Establishments Rules, 1958, in rule 15, in sub rule (2), after clause (iv), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that nothing contained in clause (iv) shall be applicable to a woman working in Shops and Commercial establishments, when exemptions from provisions of section 30 of the Act is granted.”

RAJEEV RANJAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Labour Department.